न्यायालय संभागीय आयुक्त, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी :भंवर लाल मेहरा, आई.ए.एस

राजस्व अपील संख्या 201/2023 (34/2021)

अपीलान्ट	बनाम	रेस्पोडेन्टस
1. रामचन्द्र पुत्र मानाराम 2. मुकनाराम पुत्र मानाराम जातियान–माली, निवासी– बालोतरा, जिला बालोतरा		1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार पचपदरा जिला बालोतरा

राजस्व अपील अंतर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम विरूद्ध आदेश दिनांक 01.05.2018 जो उपखंड अधिकारी बालोतरा के द्वारा प्रकरण संख्या 21/2018 अनवान सरकार बनाम कैलाश में पारित किया गया।

उपस्थितिः–

1. श्री सुगनमल परिहार, अधिवक्ता अपीलान्ट की ओर से।
2. श्री नवल सिंह दहिया, राजकीय अधिवक्ता रेस्पो.सं.एक की ओर से।

निर्णय

दिनांक 29 अप्रेल, 2024

अपीलान्ट के द्वारा प्रस्तुत उक्त अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पोडेन्ट संख्या एक के द्वारा उपखण्ड अधिकारी बालोतरा के समक्ष एक प्रार्थनापत्र अंतर्गत धारा 130, 131, 136 राज0 भू राजस्व अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम रामसीन में वर्तमान में रेल्वे लाईन से रामसीन तक निजी खातेदारी के खेत ख0सं0 793/591, 592, 594, 595, 586, 585, 574, 573, 567, 436, 437, 424, 435, 426, 417, 415, 414, 713/345 की रकबा भूमि में से बारहमासी रास्ता चल रहा है परन्तु उसक राजस्व रेकर्ड व जमाबन्दी तथा नक्शे में रास्ता अंकन नहीं है अतः प्रार्थना पत्र में उल्लेखित खसरान की रास्ते की रकबा भूमि का राजस्व रेकर्ड में रास्ता दर्ज करते हुए नक्शे में तरमीम किये जाने का आदेश प्रदान करावें। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में दिनांक 01.05.2018 को अपीलाधीन आदेश के द्वारा प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुए उल्लेखित खसरान भूमि का संलग्न नजरी नक्शा अनुसार राजस्व रेकर्ड में रास्ता दर्ज करने के आदेश पारित कर दिया। उक्त अपीलाधीन आदेश से व्यथित होकर अपीलान्ट ने यह अपील न्यायालय के समक्ष पेश की है।

संभागीय आयुक्त
जोधपुर

पक्षकारान के अधिवक्ता उपस्थित है। दौरान सुनवाई अपीलान्ट के अधिवक्ता ने अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब के सम्बन्ध में धारा 05 म्याद अधिनियम के तहत पेश प्रार्थना पत्र में यह कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा एक तरफा अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है एवं उन्हें कोई सुनवाई का अवसर नोटिस नहीं दिया गया। तत्समय में ख0सं0 592 के सहखातेदार भैराराम का दिनांक 19.11.20 को देहान्त हो जाने पर विरासत का नामा0 करवाने हेतु दिनांक 20.01.2021 को पटवारी हल्का से अपीलान्ट मिले तब पटवारी द्वारा रेकर्ड देखकर बताया कि ख0सं0 592 की कुछ भूमि रास्ते में दर्ज कर दी गई है जो उपखण्ड अधिकारी, बालोतरा के द्वारा जारी आदेश दिनांक 01.05.2018 से हुआ है। तब आदेश की नकल प्राप्त करने हेतु आवेदन कर दिनांक 27.01.2021 को नकले प्राप्त की तब अपीलान्ट ने अधिवक्ता से सम्पर्क करते हुए दिनांक 02.02.2021 को यह अपील पेश करने की कार्यवाही की है अतः अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी को माफ किया जावे। रेस्पोडेन्ट राजकीय अधिवक्ता के द्वारा उक्त प्रार्थना पत्रों को स्वीकार करने बाबत विरोध प्रकट किया। अपीलान्ट के अधिवक्ता द्वारा म्याद प्रार्थना पत्र में प्रकट किये गये तथ्यों के आधार पर न्यायहित में अपील को अन्दर म्याद शुमार किया जाता है।

अपीलान्ट के अधिवक्ता ने उपरोक्त तथ्यों को दोहराते हुए यह भी कथन किया कि रेस्पोडेन्ट के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र पेश करते हुए निवेदन किया कि उल्लेखित खसरान भूमि में एक खसरा अपीलान्ट की खातेदारी का है जिसके ख0सं0 592 है जिनको अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व कोई नोटिस नहीं दिया गया है, अधिनस्थ न्यायालय ने उसके बावजूद भी अपीलान्ट की तामील मानते हुए आदेश पारित कर दिया ऐसा आदेश नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरित होने से निरस्त करने योग्य है। इसके अतिरिक्त किसी भी सहखातेदार/खातेदार के द्वारा इस तरह के रास्ते हेतु कोई मांग नहीं की गई और न ही कोई आवेदन किया गया था। तहसीलदार/पटवारी हल्का की ओर से अपनी मनमर्जी से प्रकरण बनाकर अधीनस्थ न्यायालय से अपीलाधीन फैसला पारित करवा लिया जो निरस्त योग्य है।

अपीलान्ट के अधिवक्ता ने यह भी कथन किया कि अपीलान्ट खसरा संख्या 592 के रेकर्डेड खातेदार है। किसी भी खातेदार को इस तरह से उनके खातेदारी अधिकारों से वंचित नहीं किया जा सकता है और न ही धारा 130, 131, 136 राज0 भू राजस्व अधिनियम के तहत कृषि भूमि की किस्म बदली जा सकती है। भविष्य में कई तरह के नये विवादों को पैदा करेगा। अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व अपीलांटस

संभागीय आयुक्त
जोधपुर

को किसी भी प्रकार का सुनवाई का नोटिस नहीं दिया है और न ही कोई सहमति ली गई और उक्त वर्णित रकबा भूमि में से कोई रास्ता नहीं चल रहा है इसलिये रास्ते का आदेश नही दिया जा सकता है। अपीलार्थी की खातेदारी भूमि के खेत खसरान के मध्य से रास्ते का आदेश पारित किया गया है जो विधि विपरित होने से निरस्त करने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा राजस्व विभाग के जिस परिपत्र को आधार मानकर अपीलाधीन आदेश पारित किया है उस परिपत्र की ऐसी कोई मंशा नहीं रही है व कोई ऐसे निर्देश जारी किये गये थे। कोई भी परिपत्र कानून की मूल आधार के बाहर जाकर जारी नहीं किया जा सकता है। राज0 काश्तकारी अधिनियम में रास्ता दिये जाने सम्बन्धी धारा 251 में पहले से प्रावधान दिये हुए है तो इस परिपत्र का कोई महत्व ही नहीं रहा है। उक्त परिपत्र केवल सार्वजनिक रास्ते में मामलों में लागू होता है।

अपीलान्ट के अधिवक्ता ने यह भी कथन किया कि अपीलाधीन आदेश के वाद शीर्षक में वर्णित अन्य व्यक्तियों को अपील में पक्षकार नहीं बनाया गया है क्यों कि उनके विरूद्ध अपीलान्ट ने कोई अनुतोष नहीं चाहा है। इसके अतिरिक्त अपीलान्ट के खेत की रकबा भूमि के बीचों–बीच से रास्ता निकाले जाने का आदेश पारित किया गया है जो अपीलान्ट के खेत में कृषि कार्य करने में बाधा उत्पन्न करेगा एवं सुरक्षा की दृष्टि से भी अपीलान्ट को परेशानी का सामना करना पड रहा है यदि रास्ता निकाला आवश्यक भी है तो अपीलान्ट की खातेदारी वाले खेत खसरान की रकबा भूमि की माठ–माठ से उक्त रास्ते को निकाला जाता है तो अपीलान्ट को कोई आपत्ति नही है और इस बाबत सहमति प्रदान करता है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जावे तथा अपीलाधीन आदेश दिनांक 01.5.2018 को आदेश में वर्णित अपीलान्ट के खसरा संख्या 592 ग्राम रामसीन तहसील पचपदरा तक को निरस्त किया जावें।

प्रत्युतर में रेस्पोडेन्ट ओर से उपस्थित राजकीय अधिवक्ता ने यह कथन किया कि तहसीलदार पचपदरा के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र पेश कर कथन किया कि ग्राम रामसीन के उल्लेखित खेता खसरान में सार्वजनिक रास्ता चालू पाये जाने पर उक्त रास्ते का अंकन/तरमीम राजस्व रेकर्ड में किये जाने का अपीलाधीन आदेश पारित किया है जो बहाल रखे जाने योग्य है।

हमने अपीलान्ट के अधिवक्ता एवं राजकीय अधिवक्ता की ओर से की गई बहस पर मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली, प्रस्तुत दस्तावेजों एवं अपीलांधीन आदेश इत्यादि का अवलोकन किया गया जिससें यह पाया गया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष

संभागीय आयुक्त
जोधपुर

तहसीलदार, पचपदरा के द्वारा ग्राम रामसीन के उल्लेखित खसरान भूमि में चल रहे बारहमासी रास्ते का राजस्व रेकर्ड में अंकन करने बाबत प्रकरण प्रस्तुत करने पर वादग्रस्त भूमि/प्रभावित खातेदारान को सुनवाई व अपना पक्ष रखे जाने का अवसर नहीं दिया जाना प्रकट होता है जबकि प्राकृतिक एवं नैसर्गिक के सिद्धान्त के अनुसार प्रभावित पक्षकार को उनके विरूद्ध किसी प्रकार का आदेश पारित करने से पूर्व विधि अनुसार सुनवाई एवं अपना पक्ष रखे जाने का पर्याप्त अवसर दिया जाना आवश्यक है। अपीलान्ट के द्वारा उनकी खातेदारी वाले खेत खसरान की रकबा भूमि की माठ–माठ से उक्त रास्ते को निकाले जाने बाबत सहमति दर्शाई है। इस स्थिति में प्राकृतिक न्याय सिद्धान्तों के दृष्टिगत हमारी विनम्र राय में अपीलान्ट की अपील आंशिक स्वीकार की जाकर उपखण्ड अधिकारी, बालोतरा के द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 01.05.2018 को अपीलान्ट के खेत खसरान संख्या 592 की हद तक निरस्त करते हुए प्रकरण में पुनः सुनवाई हेतु प्रतिप्रेषित किया जाना उचित रहेगा।

अतः उपरोक्त तथ्यों पर मनन करने एवं विश्लेषण करने के उपरान्त अपीलान्ट की अपील आंशिक स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा पारित आदेश दिनांक 01.05.2018 को अपीलान्ट के खेत खसरान संख्या 592 की हद तक निरस्त करते हुए प्रकरण उपखण्ड अधिकारी, बालोतरा को प्रतिप्रेषित किया जाकर निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त ऑब्जर्वेशनों को मध्यनजर रखते हुए एवं अपीलान्ट के उल्लेखित खसरान भूमि के सम्बन्ध में अपीलान्ट को अपना पक्ष रखे जाने तथा सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिये जाने के पश्चात यदि अपीलाधीन आदेश में किसी प्रकार से संशोधन की आवश्यकता प्रतीत होती हो तो पुनः यथोचित आदेश पारित करें। निर्णय आज दिनांक 29 अप्रेल, 2024 को सरे इजलास सुनाया गया।

(भंवर लाल मेहरा)
सम्भागीय आयुक्त,
जोधपुर